पुलिस ने विभिन्न अवसरों पर उस स्थान पर छापे मारे तथा मार्च, 1966 से अब तक 19 व्यापारियों के रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिये हैं। 11 व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है और कुछ मामलों की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या गुजरात का कोई व्यापारी इन मामलों से सम्बन्धित नहीं है। इस सम्बन्ध में भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि टेलीफोन विभाग का कोई कर्मचारी इन मामलों से सम्बन्धित है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अभिलेख

1788. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री 12 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अभिलेख हिन्दी में रखने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ क्या हैं ;

(ख) क्या भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अभिलेख हिन्दी में रखने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). इस मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा अभिलेख इस विषय में सरकार द्वारा जारी किए गए सामन्य अनुदेशों के अनुसार रखे जाते हैं। आजकल इस प्रयोजन के लिए फार्म अंग्रेजी में छापे तथा सप्लाई किए जाते हैं। ये फार्म हिन्दी में छापे जाने का प्रयास किया जा रहा है और हिन्दी में अभिलेख रखने का सरकार का निर्णय कर लिया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णय पर अमल करने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जाएगी ।

शिक्षा पर व्यय

1789. **श्री शोलहू प्रसाद :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में प्रत्येक राज्य ने अपने अपने आय व्यय के वियतनों में से शिक्षा पर कितने प्रतिशत धन खर्च किया; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि के अनुदान मंजूर किये ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है इसलिए प्रत्येक राज्य द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके बजट में से खर्च का प्रतिशत बताना कठिन है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1967–68 के दौरान वित्त मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत खर्च और निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी गई है। मार्च 1968 के अन्त तक अनुदान दिया जायेगा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी**—208/68]

हिन्दी आशुलिपिक

1790. **श्री राम सेवक यादव :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि हिन्दी का कार्य करने के लिये कई वर्ष पहले भर्ती किये गये आशुलिपिकों, स्टेनों टाइपिस्टों तथा टाइपिस्टों को भविष्य में हिन्दी के साथ अंग्रेजी का काम करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अंग्रेजी का काम करने में उन्हें होने वाली संभाव्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या इस निर्णय के परिणाम स्वरूप सरकारी काम में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग,